

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाडा (राज0)

पीठारसीन अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-274 / 17 राजस्व वाद

1. श्री चम्मालाल आत्मज श्री रामचन्द्र खारोल आयु वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
--वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण आत्मज श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री अनिल आत्मज श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3. मीना पुत्री श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
4. श्री सोनू आत्मज श्री बाबूलाल नाई उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक वा.वि.माता श्रीमती जेती पत्नि बाबूलाल नाई, निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती जेती पत्नि श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा।

--प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0ए0 1955 प्र0स0 274 / 17 राजस्व वाद दिनांक - .05.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में बहस समाहित की गई। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम करेडा पटवार हलका करेडा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिये जाते है।

वाद पत्र बाबत अंतर्गत धारा 53 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:-

1- श्री ताराचन्द्र जैन

अधिवक्ता-वादी

:: निर्णय ::

दिनांक:-21.05.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार बटवांडा प्रस्ताव प्राप्त। अतः ग्राम करेडा पटवार हलका करेडा तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिये जाते है।

(1) खातेदार का नाम- लक्ष्मण,अनिल,सोनू पिता बाबूलाल ना0ब0ब0वि0 माता जेती मीना पिता बाबूलाल, जेती पत्नि बाबूलाल नाई सा0 करेडा

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	फिस्म	लगान
1	5736	1.07 बीघा	वारानी।।	-
2	5737	0.18 बीघा	वारानी।।	-
कुल कित्ता	2	रकबा 2.05 बीघा	-	-

(2) खातेदार का नाम- चम्मालाल पिता रामचन्द्र खारोल सा0 करेडा खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	फिस्म	लगान
1	5735	1.10 बीघा	वारानी।।	-
2	5736 / 1	0.09 बीघा	वारानी।।	-
3	5737 / 1	0.06 बीघा	वारानी।।	-
कुल कित्ता	3	रकबा 2.05 बीघा	-	-

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिक्केन खर्चा अपना-अपना वहन करें।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौशल शुमार होकर नम्बर रो कम हो।



(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

वईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

1. श्री चम्पालाल आत्मज श्री रामचन्द्र खारोल आयु वयस्क निवारी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

--वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण आत्मज श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवारी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री अनिल आत्मज श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवारी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
3. मीना पुत्री श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवारी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
4. श्री सोनू आत्मज श्री बाबूलाल नाई उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक वा.वि.माता श्रीमती जेती पत्नि बाबूलाल नाई, निवारी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती जेती पत्नि श्री बाबूलाल नाई उम्र वयस्क निवारी करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा।

--प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-54 रा0टि0ए0 1955 प्र0सं0 274/17 राजस्व वाद दिनांक - .05.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुददई व श्री ताराचन्द जैन मनलाभिव मुदायला पेश होकर हुगम दिया जाता है कि कि डिक्री दी जाती है कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। फरिक्केन खर्चा अपना-अपना वहन करें।

(1) खातेदार का नाम- लक्ष्मण,अनिल,सोनू पिता बाबूलाल ना0ब0ब0वि0 माता जेती मीना पिता बाबूलाल, जेती पत्नि बाबूलाल नाई सा0 करेडा

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	5736	1.07 बीघा	बारानी।।	-
2	5737	0.18 बीघा	बारानी।।	-
कुल कित्ता	2	रकबा 2.05 बीघा	-	-

(2) खातेदार का नाम- चम्पालाल पिता रामचन्द्र खारोल सा0 करेडा खातेदार

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किरम	लगान
1	5735	1.10 बीघा	बारानी।।	-
2	5736/1	0.09 बीघा	बारानी।।	-
3	5737/1	0.06 बीघा	बारानी।।	-
कुल कित्ता	3	रकबा 2.05 बीघा	-	-

भूमि का हक हिस्सा निहित होकर हक हिस्से के अनुसार विभाजन मिट्स एंड वाउण्डस के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आज तारीख 21.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(वादपत्र की प्रति साथ संलग्न है।)

(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा